कार्यालय जिलाधिकारी, बरेली।

पत्रांक : मु0चि0अ0 / रा0तम्बाकू नि0प्रकोष्ठ / 2018–19 / 484 दिनांकः 23.05.2018

समस्त कार्यालय अध्यक्ष

....

बरेली।

विषयः–राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम कोटपा अधिनियम 2003 के अनुपालन एवं तम्बाकू मुक्त परिसर बनाने हेतु दिशा निर्देश के सम्बन्ध में।

जैसा कि आप अवगत है कि आपके जनपद में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत कोटपा अधिनियम 2003 को जनपद बरेली में कडाई से लागू किया जा रहा है दिनांकः 31.05.2018 को विश्व तम्बाकू निषेद्ध दिवस मनाया जाना है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रदत्त थीम (Tobacco Breaks Hearts) पर तम्बाकू नियंत्रण के अन्तर्गत जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन जन स्वास्थ्य हेतु किया जाना है। उक्त के क्रम में दिनांकः 31.05.2018 को आप अपने स्तर से हस्ताक्षर अभियान, गोष्ठी, मानव श्रृंखला रैली के माध्यम से जागरुक करें कि किस प्रकार तम्बाकू के प्रति लोगों का आकर्षण उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है।

अतः आप अपने अधीनिस्थ समस्त अधिकारी / कर्मचारियों को निर्देशित करें अपने विभाग में पूर्ण सिगरेट व तम्बाकू के सेवन पर पूर्णताः प्रतिबन्ध करें तथा अपने कार्यालय के बाहर "धुम्रपान निषेध क्षेत्र, यहां धुम्रपान करना दण्डनीय अपराध है" का लिखा हुआ 60X30 से0मी0 का साईनेज लगना अनिवार्य है।

आप सभी को आदेशित किया जाता है कि आप अपने विभाग की उपरोक्त की सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली को भिजवाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
बरेली।

पत्रांक : मु0चि0अ0 / रा0तम्बाकू नि0प्रकोष्ठ / 2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मडण्लायुक्त महोदय बरेली मण्डल बरेली।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ, बरेली।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली।
5. राज्य सलाहकार, राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उ0प्र0 लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, एन0टी0सी0पी0 बरेली।
7. रीजनल को–आर्डिनेटर यू0पी0बी0एच0ए0।

जिलाधिकारी
बरेली।

[Type text]